

प्रपत्र-श
अग्नि अंकेक्षण के चेक बिंदु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से सम्बंधित गाँछिन
कार्यवाही हेतु नोटिस-1

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा 33 एवं 43 (2)(3) के अन्तर्गत
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(ज)(झ)(ञ) के अंतर्गत

1. भवन का नाम / पता / पहचान हेतु कोई खास चिन्हित भवन :- DELHI PUBLIC SCHOOL, SIWAN
2. भवन का निर्माण वर्ष :- 2018
3. अनापति प्रमाण पत्र (औपबंधिक / अंतिम / नवीनीकरण का वर्ष) :- नहीं
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि :- नहीं
5. भवन का अधिभोग का प्रकार :- कामधियल
6. उप कब्जे (SUB-OCCUPACY) का प्रकार :- विद्यालय
7. जमीन के स्तर से भवन की उचाई (मीटर में) :- 09 मी०
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उचाई :- 08 फीट
9. बिजली लाइन से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षतिज दूरी मीटर में) :- 20 मीटर
10. भवन का अच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में) :- 4194 वर्ग मी०
11. मंजिलों की संख्या :- 03 (G+2)
12. तलघर की संख्या :- नहीं
13. सटील / भूतल की संख्या :- नहीं
14. ब्लाक की संख्या :- 01
15. प्रति मजिल औसत प्रवासी भार :- 300 विद्यार्थी
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल / अधिवासियों की संख्या) :- 300
17. पहुच सड़क / स्ट्रीट (नाम / चौड़ाई) :- बड़हरिया - शिवान मुख्य मार्ग
18. (पहुच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12/20 फीट चौड़ाई होनी चाहिए) :- 24 फीट
19. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चलने योग्य है :- हाँ
20. क्या मृत अंत (DEAD END) में समाप्त हो रहा है :- नहीं
21. पहुच / खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैंक की चौड़ाई :- एक तरफ सड़क, तीन तरफ खेत
22. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोने पर घूमने के लिए वाहन का पहुच :- हाँ
23. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं उचाई है ? :- हाँ
24. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या) :- हाँ
25. खुले स्थान से प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी) :- नहीं
26. प्रवेश द्वार की संख्या :- 01
27. निकासी द्वार की संख्या :- 01
28. प्रवेश / निकासी द्वार में सर के तरफ खुला स्थान :- नहीं
29. आंतरिक सीढ़ी (संख्या / TRIDS की चौड़ाई / राइजर की उचाई एवं संख्या / हैंड रेल की उचाई) :- हाँ (02)
30. बाहरी सीढ़ी की संख्या (संख्या / TRIDS की चौड़ाई / राइजर की उचाई एवं संख्या / हैंड रेल की उचाई) :- नहीं
31. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी / गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ीयों तक दूरी) :- नहीं
32. रैंप (संख्या / चौड़ाई / स्लिप) :- नहीं
33. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
34. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
35. फिरे लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
36. शरण क्षेत्र (किस मजिल पर / क्षेत्रफल) :- नहीं
37. फिरे टावर (किस मजिल पर / क्षेत्रफल) :- नहीं
38. बंद उद्धारार्थर खुला स्थान :- नहीं

55. सौरिहोर और इसी (संलग्न सीटों) के अनुसार सार्वजनिक स्थान :- हाँ
56. विभिन्न विकास की स्थिति :- नहीं
57. निवासी हेतु एंजिनियरिंग निवासी अंकित :- नहीं
58. जलधर की रक्त दूरी / जल वन राजस्व/विनिर्माण / इत्यादि :- नहीं
59. धारा 17(1) के अंतर्गत सार्वजनिक :- नहीं
60. सार्वजनिक स्थानों के अंकित :- नहीं
61. सार्वजनिक स्थानों के अंकित :- नहीं
62. विभिन्न विकास की स्थिति :- नहीं
63. विभिन्न विकास की स्थिति :- नहीं
64. एंगर मंडीकरण सिस्टम :- हाँ
65. आवासीय विभिन्न की संरक्षण के एवधान :- नहीं
66. अनुमत विकास किए फाइलिंग अधिष्ठापन (NBC-2016 का भाग 4 का सार्वजनिक -7 के अनुसार) :- नहीं
67. स्वचालित लॉच एवं अनाम सिस्टम (धूम संयुक्त, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मॉडल में अग्नि संयुक्त नियंत्रण पैनल) :- नहीं
68. स्वचालित विनिर्माण सिस्टम :- नहीं
69. नयी शीत :- नहीं
70. गैर राहुजर :- नहीं
71. शुद्धी राहुजर :- नहीं
72. हाउस कमर :- नहीं
73. गार्ड हाईट :- नहीं
74. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या / कुल क्षमता - लीटर) :- नहीं
75. छत टैंक (संख्या / कुल क्षमता - लीटर) :- 2000 लीटर का 04 टैंक
76. पम्पों की विवरणी इलेक्ट्रिकल मुख्य पंप / स्टैंडबाई डीजल पंप / छिडकाव प्रणाली के लिए विद्युत पंप / स्टैंड पंप (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट) :- नहीं
77. पोटैबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या / क्षमता / गुणवत्ता / मेक / क्रमांक / एकसकलमिद नं० / विनिर्माण का वर्ष / खरीद का वर्ष / ISI का मार्क / रेकिलिंग की तिथि) :- 14 अग्नि ABC प्रत्येक 06 Kg का
02 अग्नि CO2 प्रत्येक 4-5 Kg का
78. अग्निनियंत्रण कक्ष :- नहीं
79. फायर ड्रिल और फायर आर्डर (भवन खाली करने आपातकालीन योजना सहित) :- नहीं
80. अग्नि सुरक्षा अधिकारी :- नहीं
81. अन्य बिंदु - प्रपत्र ग / झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है :- हाँ

आज दिनांक 26/04/2023 को अग्निशामक विभाग के पदां एवं कर्मियों के द्वारा संबंधित विद्यालय का अग्नि अंकेक्षण किया गया। जॉय के क्रम में 14 अग्नि ABC प्रत्येक 06 Kg का एवं 02 अग्नि CO2 प्रत्येक 4-5 Kg का सक्रिय अवस्था में पाया गया। उन्हें सलाह दिया जाता है कि समय-समय पर अग्निशामक यंत्र का रेकिलिंग कराते रहें एवं वर्ष में दो बार अग्निशामक विभाग से मांफ़रील अक्षय करारें। उन्हें अग्नि-अंकेक्षण प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।

विष्वास भाजन
मुख्यालय

26/04/2023

अनुसूचित अग्निशामक प्रदायक
विभाग